प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 104/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

इंटरकनेक्शन विनियम 2017 से संबंधित मुद्दों पर परामर्श पत्र पर टिप्पणी प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाना

नई दिल्ली, 23 अक्टूबर 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 25 सितंबर 2019 को 'इंटरकनेक्शन विनियम 2017 से संबंधित मुद्दों' पर परामर्श पत्र जारी किया था। हितधारकों से लिखित टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां, यदि कोई हों प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्रमशः 23 अक्टूबर, 2019 और 6 नवंबर, 2019 निर्धारित की गई थी।

2. हितधारकों ने 'इंटरकनेक्शन विनियम 2017 से संबंधित मुद्दों' पर परामर्श पत्र पर अपनी टिप्पणी भेजने की समयसीमा को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया है। इसे देखते हुए, लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को 4 नवंबर 2019 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। प्रति–टिप्पणियां 13 नवंबर 2019 तक भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसके बाद, समयसीमा बढ़ाएं जाने के किसी और अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. टिप्पणियों और प्रति–टिप्पणियों अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडसीएस), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को ईमेलः – advbcs&2@trai-gov-in या sapna-sharma@trai-gov-in पर भेज सकते हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बीएंडएस) से टेलीफोन नंबरः +91–11–23237922, फैक्सः + 91–11–23220442 द्वारा संपर्क किया जा सकता है। नंबरः ।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।